No. CDN-27011/2/2020-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 22.09.2020

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of August, 2020 is enclosed for information.

(Prashant Rastogi)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
3. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
4. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF AUGUST, 2020

1. Notifications:-

(i) The Ministry brought into force clause (ii) of section 23 of the Companies (Amendment) Act, 2017 whereby, Companies shall place a copy of their Annual Return on the website of the company, if any, and the web-link of such annual return shall be disclosed in the Board's report. (Notification no. S.O. 2920(E) dated 28.08.2020).

(ii) Vide notification dated 28.08.2020, the amendment to Companies (Management and Administration) Rules, 2014 has been notified vide which a proviso to Rule 12(1) has been inserted which provides that in case the web link of annual return has been disclosed in the Board's report as per section 92(3) of the Companies Act, 2013 then a company shall not be required to attach the extract of the annual return with the Board's report in Form No. MGT. 9. This would reduce compliance burden and facilitate ease of doing business. (Notification no. G.S.R. 538(E) dated 28.08.2020).

2. CIRCULARS:-

(i) Through the General Circular no. 27/2020 dated 03.08.2020, the Ministry has extended the validity of clarification issued vide General Circular no.21/2020 dated 11.5.2020 regarding dispatch of notice under section 62(2) of the Companies Act, 2013 by listed companies for rights issues opening upto 31st July, 2020. Vide the said circular the clarification given under para 2 of General Circular No. 21/2020 would continue to be applicable for the rights issues opening upto 31st December, 2020.

(ii) Through the General Circular no. 28/2020 dated 17.08.2020, the Ministry has clarified that the companies which are unable to hold their AGM for the financial year ended on 31.03.2020, despite availing the relaxations provided in the General Circular no.20/2020, ought to file their applications in form no. GNL-1 for seeking extension of time in holding of AGM for the financial year ended on 31.03.2020 with the concerned Registrar of Companies (ROCs) on or before 29.09.2020. Further, the ROCs have been advised to consider all such applications (filed in Form no.GNL-1) liberally.

3. Amendment in the Companies Act, 2013

The Ministry is taking necessary action for amending the Companies Act, 2013 [CA-13] to implement the recommendations made by Company Law Committee (2019) to decriminalize 46 penal provision of the CA-13 as well as to facilitate ease of living to law abiding corporates. Approval of the Cabinet for such amendments in the CA-13 through Companies (Amendment) Bill, 2020 was obtained on 4th March, 2020. The said Bill was introduced in the Lok Sabha on 17th March, 2020. The Bill came up for discussion on 23rd March, 2020 but could not be considered and the House got adjourned sine die. The Bill is pending in the Lok Sabha.

In view of upcoming Parliament Session, the Ministry is taking necessary action for the said Amendment Bill to be taken up for consideration and passing by the Parliament.

4. During the month, the Competition Commission of India(CCI) received four (04) Anti-trust cases and six (06) fresh combination notices including two (02) through Green channel. Furthermore, CCI decided a total of seven (07) Anti-trust cases and approved seven (07) combination cases in August, 2020.

5. The CCI dismissed a case against WhatsApp and its parent entity Facebook for alleged abuse of dominant position by tying its digital payment app 'WhatsApp Pay' along with its instant messaging services as the Commission found the allegations to be premature, given that its actual conduct is yet to manifest in the market as the number of users being currently served by WhatsApp under the beta version is limited to less than 1% of its users in India. While it dismissed the antitrust allegation, the regulator found WhatsApp to be dominant in the market for 'Over-The-Top(OTT) messaging apps through smart phones in India'.

सं. सीडीएन-27011/2/2020-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
तारीख: 22.09.2020

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के माह अगस्त, 2020 के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(प्रशांत रस्तोगी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को अग्रेषित-

1. निदेशक, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
3. अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. निदेशक (एनआईसी) - एमसीए की आधिकारिक वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के संबंध में।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

माह अगस्त, 2020 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

1. अधिसूचनाएं:-

(i) मंत्रालय ने कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 23 के खंड (ii) को प्रवृत्त किया था जिसके द्वारा कंपनियां अपनी-अपनी वेबसाइट, यदि कोई है, पर अपनी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी तथा ऐसी वार्षिक विवरणी से वेब-लिंक को बोर्ड की रिपोर्ट में भी प्रकट किया जाएगा। (अधिसूचना संख्या का.आ. 2920(अ) दिनांक 28.08.2020)।

(ii) दिनांक 28.08.2020 की अधिसूचना के जरिए कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 में संशोधन किया गया है जिसके जरिए नियम 12 (1) के परंतुक को अत:स्थापित किया गया है। इसमें यह उपबंध किया गया है कि यदि वार्षिक विवरणी के वेब-लिंक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में दिया गया है तो कंपनी को प्ररूप संख्या एमजीटी. 9 में बोर्ड की रिपोर्ट के साथ वार्षिक विवरणी के सार को संलग्न करने की जरूरत नहीं होगी। इससे अनुपालन का भार कम होने के साथ-साथ कंपनियों के निर्बाध संचालन में भी मदद मिलेगी। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 538(अ) दिनांक 28.08.2020)।

(2) परिपत्र :-

(i) मंत्रालय ने अपने दिनांक 03.08.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 27/2020 के जरिए, 31 जुलाई 2020 तक खुलने वाले राइट इशूज के लिए सूचीकृत कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(2) के तहत नोटिस भेजे जाने के संबंध में दिनांक 11.05.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 21/2020 के माध्यम से निर्गत स्पष्टीकरण को विधिमान्यता प्रदान की है। उक्त परिपत्र के जरिए सामान्य परिपत्र संख्या 21/2020 के पैरा 2 के तहत दिएं गए स्पष्टीकरण को 31 दिसंबर, 2020 तक खोले जाने वाले राइट इशूज हेतु अनवरत रूप में लागू रखा जाएगा।

(ii) दिनांक 17.08.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 28/2020 के जरिए मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 में दी गई शिथिलताओं का लाभ उठाने के बावजूद 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने एजीएम को संचालित करने में असमर्थ रहने वाली कंपनियों को 29.09.2020 को अथवा इससे पहले संबंधित कंपनी पंजीयक (आरओसी) के पास 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम संचालन हेतु समय विस्तारण मांगने के लिए प्ररूप संख्या जीएनएल- 1 में अपने आवेदन दाखिल करने चाहिएं।

इसके अलावा, कंपनी पंजीयक को ऐसे सभी आवेदनों (प्ररूप संख्या जीएनएल-1 में दाखिल) पर उदारता के साथ विचार करने की सलाह दी गई है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन

मंत्रालय सीए-13 के 46 दांडिक उपबंधों का गैर-अपराधीकरण करने और कानून की पाबंदी करने वाले कारपोरेटों के संचालन को सुचारू बनाने के प्रयोजनार्थ कंपनी विधि समिति (2019) द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के निमित कंपनी अधिनियम, 2013 [सीए-13] में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। 4 मार्च, 2020 को कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 के जरिए सीए-13 में ऐसे संशोधनों के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। उक्त विधेयक को 17 मार्च, 2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक पर 23 मार्च, 2020 को बहस होनी थी, तथापि, ऐसा नहीं हो सका और सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यह विधेयक लोक सभा में लंबित है।

आगामी संसदीय सत्र को मद्देनजर रखते हुए मंत्रालय संसद द्वारा उक्त संशोधन विधेयक पर विचार करने के साथ-साथ उसे पारित करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

4. विचाराधीन माह के दौरान, भारतीय प्रतियोगिता आयोग (सीसीआई) को ग्रीन चैनल के जरिए दो (02) अन्य नोटिसों सहित चार (04) अविश्वास मामले और छः (06) नए संयोजन नोटिस प्राप्त हुए। इसके अलावा, सीसीआई ने माह अगस्त, 2020 में सात (07) अविश्वास मामलों पर निर्णय लेने के साथ-साथ सात (07) संयोजन मामलों को भी मंजूरी प्रदान की।

5. सीसीआई ने व्हाट्स एप्प की तत्काल संदेश प्रेषण सेवाओं सहित उसके डिजिटल भुगतान एप्प 'व्हाट्स एप्प पे' को अवरोधन के द्वारा अपनी प्रभुत्व संपन्न स्थिति के कथित दुरूपयोग पर व्हाट्स एप्प और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के खिलाफ दायर मामले को खारिज कर दिया है। आयोग ने महसूस किया कि लगाए गए आरोप अपरिपक्व हैं। आयोग ने यह भी महसूस किया कि उसके वास्तविक आचरण को बाजार में उसके व्यवहार द्वारा परिलक्षित होना है, क्योंकि इस समय बीटा वर्शन के तहत व्हाट्स एप्प द्वारा बहुत से प्रयोक्ताओं को प्रदत्त सेवा भारत में उसके प्रयोक्ताओं के एक प्रतिशत से भी कम है। आयोग ने इस अविश्वास आरोप को खारिज कर दिया। विनियामक ने यह भी महसूस किया कि व्हाट्स एप्प ने भारत में स्मार्टफोनों के जरिए 'ऑवर द टॉप (ओटीटी) एप्स संदेश प्रेषण की बाबत बाजार में प्रभावी स्थिति स्थापित करनी है।